

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 211 / 2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

मुथुट हॉम फिन (इण्डिया) लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी कुश कुमार स्वर्णकार
पंजीकृत कार्यालय:- 1201 व 1202, 12th फ्लोर, लॉटस कॉरपोरेट पार्क, वेस्टर्न
एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव पूर्व, मुम्बई-400063

शाखा कार्यालय:- 1st फ्लोर, यश टॉवर, बजाज रोड, सीकर, राजस्थान

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. गोविन्दराम जांगिड़ पुत्र बनवारीलाल,

प्रथम पता:- वार्ड नम्बर 38, दुर्गा कॉलोनी, राधाकिशनपुरा, सीकर, (राज.) 302001
दूसरा पता:- प्लॉट नम्बर 21बी, वार्ड नं. 37, खसरा नम्बर 511 का भाग,
राधाकिशनपुरा, रामेश्वरम आवासीय कॉलोनी, उदयवास की ढाणी, चिड़िया टीबा से
जयपुर झुन्झुनू बाईपास के मध्य, तहसील व जिला सीकर (राज.) 302001

2. सावित्री देवी पत्नि गोविन्दराम जांगिड़,

प्रथम पता:- वार्ड नम्बर 38, दुर्गा कॉलोनी, राधाकिशनपुरा, सीकर, (राज.) 302001
दूसरा पता:- प्लॉट नम्बर 21बी, वार्ड नं. 37, खसरा नम्बर 511 का भाग,
राधाकिशनपुरा, रामेश्वरम आवासीय कॉलोनी, उदयवास की ढाणी, चिड़िया टीबा से
जयपुर झुन्झुनू बाईपास के मध्य, तहसील व जिला सीकर (राज.) 302001

-अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)



The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of
financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 25 नवम्बर, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा अधिनियम की धारा
14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है
कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः गोविन्दराम जांगिड़ पुत्र
बनवारीलाल एवं सावित्री देवी पत्नि गोविन्दराम जांगिड़ की ओर से पुनर्भुगतान

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **गोविन्दराम जांगिड़ पुत्र बनवारीलाल** के स्वामित्व की बंधक अचल आवासीय सम्पत्ति **प्लॉट नम्बर 21बी, वार्ड नं. 37, खसरा नम्बर 511 का भाग, राधाकिशनपुरा, रामेश्वरम आवासीय कॉलोनी, उदयवास की ढाणी, चिड़िया टीबा से जयपुर झुन्झुनू बाईपास के मध्य, तहसील व जिला सीकर (राज.) 302001** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 97.11 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में जमीन दीगर, पश्चिम दिशा में रास्ता 30 फीट, उत्तर दिशा में दीगर की जमीन एवं दक्षिण दिशा में प्लॉट संख्या 21ए स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹10,77,938/- (अक्षरे रूपये दस लाख सतत्तर हजार नौ सौ अड़तीस)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **20.05.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।



2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **20.05.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **गोविन्दराम जांगिड़ पुत्र बनवारीलाल एवं सावित्री देवी पत्नि**


(मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

गोविन्दराम जांगिड की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी गोविन्दराम जांगिड पुत्र बनवारीलाल के स्वामित्व की बंधक अचल आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 21बी, वार्ड नं. 37, खसरा नम्बर 511 का भाग, राधाकिशनपुरा, रामेश्वरम आवासीय कॉलोनी, उदयवास की ढाणी, चिड़िया टीबा से जयपुर झुञ्जुनू बाईपास के मध्य, तहसील व जिला सीकर (राज.) 302001 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 97.11 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में जमीन दीगर, पश्चिम दिशा में रास्ता 30 फीट, उत्तर दिशा में दीगर की जमीन एवं दक्षिण दिशा में प्लॉट संख्या 21ए स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के स्वीकृति आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।



6. आदेश आज दिनांक 25 नवम्बर, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर